"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 422] रायपुर, सोमवार, दिनांक 25 सितम्बर 2017 — आश्विन 3, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2017

क्रमांक 8974/डी. 200/21-अ/प्रारू./छ. ग./17. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25-09-2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 15 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) अधिनियम, 2017

वित्तीय वर्ष 2017-2018 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम .

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्र.4) अधिनियम, 2017 कहलाएगा.

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए राज्य की संचित निधि में से 21,01,54,77,100 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2017 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए दो हजार एक सौ एक करोड़ चौवन लाख सतहत्तर हजार एक सौ रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं एवं प्रयोजनों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
13	कृषि	राजस्व	10,50,00,00,000	0	10,50,00,00,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	पूंजी	1,54,77,000	0	1,54,77,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	7,98,00,00,000	0	7,98,00,00,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	2,52,00,00,000	0	2,52,00,00,000
67	लोक निर्माण कार्य - भवन	पूंजी	100	0	100
	योग -	राजस्व	21,00,00,00,000	0	21,00,00,00,000
		पूंजी	1,54,77,100	0	1,54,77,100
	वृहद योग		21,01,54,77,100	0	21,01,54,77,100

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2017

क्रमांक 8974/डी. 200/21-अ/प्रारू./छ. ग./17.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-9-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 15 of 2017)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No. 4) ACT, 2017

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2017-2018.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty- eighth Year of the Republic of India, as follows :-

1. This Act may be called the Chhattisgarh Appropriation (No. 4) Act, 2017. **Short title.**

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule, including the sums specified in column (3) of the Schedule of the Chhattisgarh Appropriation Act, 2017, amounting in the aggregate to the sums of Two thousand one hundred one crore fifty four lakhs seventy seven thousand one hundred rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2017-2018 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule. **Issue of Rs. 21,01,54,77,100 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2017-2018.**

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said financial year. **Appropriation.**

THE SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	Total
(1)	(2)			(3)	
			Rs.	Rs.	Rs.
13	Agriculture	Revenue	10,50,00,00,000	0	10,50,00,00,000
29	Administration of Justice and Elections	Capital	1,54,77,000	0	1,54,77,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
41	Tribal Areas Sub Plan	Revenue	7,98,00,00,000	0	7,98,00,00,000
64	Scheduled Caste Sub Plan	Revenue	2,52,00,00,000	0	2,52,00,00,000
67	Public Works-Buildings	Capital	100	0	100
		Total-Revenue	**21,00,00,00,000**	**0**	**21,00,00,00,000**
		Capital	**1,54,77,100**	**0**	**1,54,77,100**
	Grand Total		**21,01,54,77,100**	**0**	**21,01,54,77,100**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.